आचार्य मनु ने मंत्रणा के छह विषयों का विवरण दिया है जो प्राचीन भारत की कूटनीति एवं राज्यशिल्प के आधार है :-

1) संधि → (Treaty of Peace)
यह दो राजाओं के बीच समझौता है।

2) विग्रह → (Hostility)
यह तनाव की स्थिति है जिसमें दौत्य सम्बन्ध तोड़ दिए जाते है।

3) यान या अभियान → (Mobilization)
यह आक्रमण के लिए सेनाओं को तैयार करना है।

4) आसन → (Neutrality)
यह ऐसी नीति अपनाने से है जिसमें शत्रुओं को आपस में लड़ने दिया जाए और अपने तक उसकी आंच न आने दी जाए।

5) संश्रय → (Subordinate Alliance)
इसके अंतर्गत शत्रु से पीड़ित राजा अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए अन्य शक्तिशाली राजा की शरण लेता है।

6) द्वैधीभाव → (Diplomatic Manoeuvring)
इसके अन्तर्गत सेना के दो भाग करके एक सेनापति के साथ और एक भाग राजा अपने निरीक्षण में रखता है।

निष्कर्ष →
मनु की राज व्यवस्था की यथार्थ कसौटी धर्म है। इसके अनुसार राजा को न केवल स्वयं धर्म से बंधे रहना चाहिए बल्कि यह भी देखना चाहिए कि उसकी प्रजा धर्म का पालन कर रही है। मनु ने यही चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि कोई पतित राजा काम या क्रोध के वशीभूत होकर अपने कर्तव्य की अवहेलना करता है तो वह अपनी प्रजा को अपार कष्ट में डाल देता है। अतः राजा को इन बुराईयों से दूर रहना चाहिए। परन्तु मनु ने प्रजा को राजा का विरोध करने का अधिकार नहीं दिया है। मनु की राज व्यवस्था में आधुनिक संविधानवाद के लिए कोई गुंजाइश नहीं रखी गई है।

Scanned with CamScanner